# न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

**पीठासीन अधिकारी– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई0ए0एस)**

प्रकरण संख्या 40/2024

**बउनवान**

1. बबलू सिहं आयु 50 वर्ष पुत्र भैरूसिहं जाति राजपूत निवासी टारडा
2. जगदीश आयु 35 वर्ष पुत्र तेजपाल माली जाति माली निवासी टारडा तहसील अन्ता जिला बांरा, राज०

**अपीलांट्स**

**बनाम**

1. कालीबाई आयु 35 वर्ष पुत्री धन्नालाल जाति मेघवाल निवासी टारडा
2. प्रेमबाई आयु 65 वर्ष पत्नि स्व० धन्नालाल जाति मेघवाल निवासी टारडा
3. प्रमोद कुमार आयु 32 वर्ष पुत्र धन्नालाल जाति मेघवाल निवासी टारडा तहसील अन्ता जिला बांरा, राज०

**रेस्पोडेन्ट्स**

**अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट**

**अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 09.07.2024 न्याया. तहसीलदार, अन्ता**

उपस्थिति :– 1. श्री धर्मेन्द्र सिंह सौलंकी अभिभाषक (अपीलांट्स)
2. श्री राजेश कुमार गुप्ता अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट्स)

**निर्णय दिनांक 20.01.2025**

अपीलान्ट्स की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण के विरूद्ध रेस्पो० द्वारा धारा 183 (बी) आर०टी०एक्ट के तहत आवेदन पेश किया था जिसे दिनांक 09.07.2024 को निर्णित कर आदेश दिया है कि प्रार्थीगण/रेस्पो० के खातेदारी की आराजी वाके ग्राम टारडा खाता सख्या 128 खसरा न0 110 रकबा 0.34 हैक्टर, खसरा न० 111 रकबा 0.06 हेक्टर खसरा न0 237 रकबा 0.57 हैक्टर कुल किता 3 रकबा 0.97 हैक्टर से अप्रार्थीगण/अपीलान्ट को बेदखल दिया जाकर रेस्पो० को कब्जा सम्भलावे । साथ ही अपीलार्थीगण पर वार्षिक लगान 6.79 का 50 गुना राशि 440/–रू० शास्ति आरोपीत की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय दिनाक 09.07.2024 एक तरफा खिलाफ कानून होने से काबिल निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो, साक्ष्यो एंव दस्तावेजात का कानून के अनुसार विवेचन नही करके तथा अपीलार्थीगण को बिना जवाब देही का अवसर दिये उक्त निर्णय एक तरफा पारित करने मे भारी भूल की है। वाके ग्राम टारडा खाता सख्या 128 खसरा न० 110 रकबा 0.34 हैक्टर खसरा न0 111 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा न0 237 रकबा 0.57 हैक्टर कुल किता 3 रकबा 0.97 हैक्टर अपीलार्थीगण का गत 50–60 वर्ष निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा उक्त आराजी पूर्व मे खाल नाल की शक्ल में थी जिसे अपीलार्थीगण ने हांक जोत व पैसा करके खाल नाल को समतल करके काबिज काश्त बनाया था तभी से अपीलार्थीगण का उक्त आराजी पर निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण/रेस्पो० का आज तक उक्त आराजी पर किसी भी प्रकार का कब्जा काश्त नही रहा है। उक्त तथ्य पर गोर नही कर अधिनस्थ न्यायालय का पारित निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपील विरूद्ध आदेश/निर्णय दिनाक 09.07.2024 न्यायालय तहसीलदार साहब, अन्ता जिला बांरा, राज० बउनवान मुकदमा कालीबाई वगैरा बनाम बबलू सिहं वगैरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर०टी०एक्ट प्रा० पत्र सख्या 03/2025 निरस्त किया जाकर तथा रेस्पो० को पाबन्द किया जावे कि वह अपीलार्थीगण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार का दखल अन्दाजी नही करे तथा अपीलार्थीगण को उक्त विवादित आराजी पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त बना रहने दें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.02.14 10:07:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

अपीलार्थीगण निम्न आधारो पर यह अपील पेश कर

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेंटगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेन्टगण जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी। दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थीगण का विवादित आराजी पर गत 50–60 वर्ष से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजी पूर्व मे खाल नाल की शक्ल में थी जिसे अपीलार्थीगण ने हांक जोत व पैसा खर्च करके खाल नाल को समतल करके काबिज काश्त बनाया था तभी से अपीलार्थीगण का उक्त आराजी पर निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। रेस्पोडेन्टगण का आज तक उक्त आराजी पर किसी भी प्रकार का कब्जा काश्त नही रहा है। उक्त तथ्य पर गोर नही कर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपील विरूद्ध आदेश/निर्णय दिनाक 09.07.2024 न्यायालय तहसीलदार साहब, अन्ता जिला बांरा, राज० बउनवान मुकदमा कालीबाई वगैरा बनाम बबलू सिहं वगैरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर०टी०एक्ट प्रा० पत्र सख्या 05/2023 निरस्त फरमाया जावे तथा रेस्पो० को पाबन्द किया जावे कि वह अपीलार्थीगण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे तथा अपीलार्थीगण को उक्त विवादित आराजी पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त बना रहने देवे।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स अनुसूचित जाति के सदस्य हैं तथा विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार तथा काबिज काश्त हैं। अपीलांटगण ने विवादित आराजी पर काबिज काश्त होने का कथन किया है परन्तु अपने कथन के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में पेश नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया है। अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं किया तथा ना ही अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए। ऐसी स्थिति में उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया जो विधि संगत है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जमाबंदी संवत 2074–77 से स्पष्ट है कि वाके ग्राम टारडा की विवादित आराजी खसरा नंबर 110 रकबा 0.34 है., 111 रकबा 0.06 है., 237 रकबा 0.57 है. कुल किता 3 रकबा 0.97 है. रेस्पोडेन्ट्स के खातेदारी में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट्स, जो कि उस कार्यवाही में अप्रार्थीगण हैं, के विद्वान अधिवक्ता सुनवाई में जवाब के अंतिम अवसर तक अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे हैं तथा उनके द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति अधीनस्थ न्यायालय में नहीं की गई। अतः उनका यह आक्षेप कि उनको सुनवाई व साक्ष्य का मौका नहीं मिला अस्वीकार है। चूंकि रेस्पोडेन्ट्स विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार हैं तथा अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्य हैं तथा अनुसूचित जाति के सदस्य के खाते की भूमि पर यदि कब्जा सर्वण जाति के व्यक्ति का हो तो भी ऐसा कब्जा अतिक्रमण की तारीफ में ही माना जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि होना नहीं पाया जाता है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होना पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट्स सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय हमारे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 20.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.02.14 10:07:31 IST
Reason: SelfAttested

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)